



उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 (प्रथम संशोधन-2022)



सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

शासनादेश संख्या:1802/78-1-2022-209/2022 दिनांक 09.11.2022 का समावेश कर यथा संशोधित

अनुक्रमणिका

1	आमुख	3
2	परिकल्पना	3
3	उद्देश्य	3
4	लक्ष्य	3
5	नीति की अवधि तथा अनुमन्यता	3
6	गवर्नेन्स	4
6.1	नोडल एजेन्सी	4
6.2	नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू)	5
6.3	नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति (पीएमआईसी)	5
6.4	मार्गदर्शक समिति (स्टीयरिंग समिति)	5
7	परिभाषायें	6
8	स्टार्टअप ईकोसिस्टम को सुदृढ़ करना	6
8.1	अवस्थापना विकास	6
8.2	शैक्षणिक हस्तक्षेप द्वारा नवाचार को बढ़ावा देना	8
8.3	स्टार्ट-अप्स का निधिकरण	9
8.4	युवा हब के साथ एकीकरण	9
8.5	अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नवाचार हब	9
8.6	एक जनपद-एक उत्पाद से एकीकरण	10
8.7	प्रवासी भारतीय कनेक्ट का लाभ उठाना	10
8.8	ज्ञान केन्द्रों के रूप में उत्कृष्टता के केन्द्र	10
8.9	स्टार्टअप ईको-सिस्टम के एंकर के रूप में इन्क्यूबेटर्स	11
8.10	ब्राण्ड प्रमोशन तथा प्रतिभा का सम्मान	12
9	वित्तीय प्रोत्साहन	13
9.1	इन्क्यूबेटर्स हेतु प्रोत्साहन	13
9.2	उत्कृष्टता के केन्द्रों (Centre of Excellence) हेतु प्रोत्साहन	14
9.3	स्टार्टअप्स हेतु प्रोत्साहन	15
10	इन्क्यूबेटर्स/उत्कृष्टता के केन्द्रों/स्टार्टअप्स हेतु गैर वित्तीय प्रोत्साहन	16
11	प्रक्रिया और दिशानिर्देश	17
11.1	स्टार्ट-अप्स के लिए पात्रता	17
11.2	आवेदन प्रक्रिया	17
12	अनुलग्नक	17

1 आमूख

उद्यमिता की प्रबल क्षमताओं वाला उत्तर प्रदेश राज्य पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में एक सुदृढ़ स्टार्टअप ईकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने अपनी प्रथम स्टार्टअप नीति “उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2016” की घोषणा की, जिसे बाद में “उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017” के रूप में संशोधित किया गया। हालाँकि भारत सरकार द्वारा राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत तथा युवा हब, इन्नोवेशन हब और लखनऊ में सबसे बड़े इन्क्यूबेटर की स्थापना जैसी राज्य सरकार की योजनाओं को एकीकृत करके नीति को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के कारण नीति का एक और पुनरीक्षण आवश्यक हो गया। अतएव, राज्य सरकार ने इसे प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक समग्र और लाभप्रदान बनाने के लिए नई “स्टार्टअप नीति 2020” आरम्भ करने का निर्णय लिया है। इस नीति का उद्देश्य राज्य सरकार के विभागों, तकनीकी और उच्च शिक्षा संस्थानों इत्यादि के मध्य अधिकाधिक सहयोग की आवश्यकता वाली इस नीति के लिए आधार को विस्तार प्रदान करना है।

नई “स्टार्टअप नीति 2020” के प्रारम्भ द्वारा राज्य सरकार का उद्देश्य छात्रों को उनकी शिक्षा के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान उद्यमिता के गुण सीखने के लिए विद्यालय स्तर पर ही उद्यमिता संस्कृति को विकसित करना है। यह पहल न केवल सीखने वाले बच्चों के स्तर को एक नई ऊँचाई प्रदान करेगी, अपितु भावी उद्यमियों का भी निर्माण करेगी।

विद्यालयों में टिकरिंग लैब्स, महाविद्यालयों में ई-प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा के संस्थानों में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना में सहयोग तथा उदीयमान प्रौद्योगिकी इत्यादि के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक समग्र स्टार्टअप उद्यमिता ईकोसिस्टम का निर्माण करना नई नीति का उद्देश्य है।

2 परिकल्पना

एक सुदृढ़ बुनियादी ढाँचे का विकास करके तथा अनुकूल नीतिगत वातावरण प्रदान करके राज्य में एक विश्वस्तरीय स्टार्टअप ईको सिस्टम की स्थापना करना।

3 उद्देश्य

रोजगार सृजन तथा श्रेष्ठ क्षेत्रों में उदीयमान प्रौद्योगिकियों का प्रारम्भ करने के लिए धरातल के स्तर पर नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और युवाओं के सशक्तिकरण में योगदान हो।

4 लक्ष्य

- 1 भारत सरकार द्वारा संचालित “राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग” के अन्तर्गत 3 शीर्ष राज्यों में स्थान ग्रहण करना।
- 2 प्रदेश में 100 इन्क्यूबेटर्स तथा राज्य के प्रत्येक जनपद में कम से कम एक इन्क्यूबेटर की स्थापना/सहायता करना।
- 3 स्टार्टअप्स के लिए कम से कम 10 लाख वर्गफीट इन्क्यूबेशन/एक्सीलरेशन स्थान का विकास करना।

- 4 राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना के अनुकूल ईकोसिस्टम का सृजन करना।
- 5 10 स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता के केन्द्रों (Center of Excellence) की स्थापना करना
- 6 भारत के सबसे बड़े इन्क्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में करना।

5 नीति की अवधि तथा अनुमन्यता

उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020, इसकी अधिसूचना की तिथि से पाँच (5) वर्षों के लिए वैध है। यह नीति पिछली स्टार्टअप नीतियों अर्थात् 'उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2016' तथा 'उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017-2022' के स्टार्टअप भाग से सम्बन्धित धाराओं को अवकमित करती है। उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत प्राविधानित सभी वित्तीय प्रोत्साहन उपरोक्त पूर्व नीतियों के अन्तर्गत अनुमोदित इन्क्यूबेटर्स पर इस संशोधन की अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे। पूर्व नीतियों के अन्तर्गत अनुमोदित इन्क्यूबेटर्स, पूर्व नीतियों में इन्क्यूबेटर द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रोत्साहनों के समस्त समायोजन के पश्चात उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के पात्र होंगे। उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 किसी उद्योग विशेष के लिए नहीं, अपितु समस्त उद्योग क्षेत्रों के स्टार्टअपस के लिए प्रभावी होगी।

6 गवर्नेन्स

उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए 4-स्तरीय प्रशासन-संरचना स्थापित की जायेगी। प्रशासन-संरचना का संयोजन इस प्रकार है :-

- i) स्टार्टअप से सम्बन्धित समस्त मामलों के लिए सिंगल विन्डो के रूप में कार्य करने के लिए नोडल एजेन्सी।
- ii) नोडल एजेन्सी के कार्यकलापों की देखरेख के साथ-साथ स्टार्टअप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निर्णय लेने हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)
- iii) नीति कार्यान्वयन से सम्बन्धित निर्णय लेने, अंतर-विभागीय सहयोग अथवा नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा सन्दर्भित किसी भी अन्य मुद्दों पर नीति-निर्धारण हेतु नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति (पीएमआईसी)। स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विभिन्न विभागों की प्रगति की मासिक समीक्षा पीएमआईसी द्वारा की जाएगी।
- iv) नीतिगत मामलों पर विचार विमर्श, अन्तर्विभागीय सहयोग तथा नीति कार्यान्वयन के परिणामों की समीक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में मार्गदर्शक समिति (स्टीयरिंग समिति)।

6.1 नोडल एजेन्सी

उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक नोडल एजेन्सी नामित की जायेगी। एजेन्सी प्रदेश में स्टार्टअप ईकोसिस्टम के सतत विकास हेतु एक अनुकूल नीतिगत वातावरण के सृजन हेतु उत्तरदायी होगी। सिंगल विन्डो परिचालन का प्रबन्धन करने हेतु, नोडल एजेन्सी द्वारा सरकार को सहयोग देने के लिए आउटसोर्स प्रोफेशनल्स और कन्सल्टेंट्स तथा पर्याप्त स्टाफ सहित एक समर्पित परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) स्थापित की जायेगी।

6.2 नीति कार्यान्वयन इकाई

इन्क्यूबेर्स को मान्यता, स्टार्टअप फण्ड्स की शुरुआत, स्टार्टअप आयोजनों के अनुमोदन इत्यादि मामलों में आवश्यकतानुसार निर्णय लेने सहित नोडल एजेन्सी द्वारा स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित कार्यों की देखरेख के लिए प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) स्थापित की जाएगी। पी.आई.यू. द्वारा राज्य में स्टार्टअप नीति के प्रभावी एवं सफल कार्यान्वयन से सम्बन्धित मामलों जैसेकि स्टार्टअप्स, इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन, स्टार्टअप फण्ड्स इत्यादि पर निर्णय लिया जायेगा। पी.आई.यू. स्टार्टअप नोडल एजेन्सी के माध्यम से स्टार्टअप हितधारकों के लिए प्रोत्साहनों हेतु अनुमोदन एवं संस्तुतियों देने हेतु भी उत्तरदायी होगी। यह उनकी शिकायतों का सामयिक निवारण प्रदान करेगी तथा आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेगी। जब और जैसी आवश्यकता हो, अग्रेतर विचार-विमर्श तथा निर्णय लिए जाने हेतु पी.आई.यू. द्वारा प्रकरण को नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति (पीएमआईसी) को सन्दर्भित किया जा सकता है।

पी.आई.यू. के दायित्वों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय, उद्योग संघों, स्टार्टअप हितधारकों की आनॅबोडिंग, कारपोरेट्स के साथ सम्बद्धता, नीति को प्रोत्साहन सम्मिलित, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं है।

6.3 नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति (पीएमआईसी)

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से सम्बन्धित अथवा पीआईयू द्वारा सन्दर्भित किन्हीं अन्य बिन्दुओं पर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। समिति के चार्टर के अनुसार विभिन्न विभागों के सहयोग एवं समन्वय द्वारा इन्क्यूबेटर्स/इन्नोवेशन हब, सेक्टरल फण्ड्स की स्थापना, विभिन्न आयोजनों के माध्यम से स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा तथा स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क के अन्तर्गत 3 शीर्ष राज्यों में स्थान अर्जित करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से सम्बन्धित होगा।

नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में इन्क्यूबेटर्स के कार्य-प्रदर्शन के समय-समय पर मूल्यांकन के लिए, पीएमआईसी द्वारा प्रमुख कार्यप्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators) पर भी अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। इन्क्यूबेटर्स के कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन एक वाह्य संस्था द्वारा किया जायेगा और सीधे पीएमआईसी को रिपोर्ट किया जाएगा।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, वित्त, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, वाणिज्य कर, ऊर्जा, परिवहन, ग्राम्य विकास, आवास एवं नगरीय विकास तथा अन्य विभागों जैसाकि समय-समय पर पीएमआईसी के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाता है, के प्रमुख सचिव इस समिति के सदस्य होंगे।

6.4 मार्गदर्शक समिति (स्टीयरिंग समिति)

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में मार्गदर्शक समिति का गठन किया जायेगा। मार्गदर्शक समिति का चार्टर यथापारिभाषित परिकल्पना, मिशन एवं लक्ष्यों के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने, इन्क्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण, राज्य में इन्क्यूबेटर्स को मान्यता एवं स्थापना, राज्यों की स्टार्टअप फ्रेमवर्क रैंकिंग सहित, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं, नीतिगत परिणामों की उपलब्धियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा से सम्बन्धित है।

समिति के अन्य सदस्य निम्नवत् होंगे:—

- माननीय मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश
- माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश
- माननीय मंत्री, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश
- माननीय मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश
- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उत्तर प्रदेश
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं नगरीय विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

7 परिभाषायें

परिभाषाओं के लिए कृपया **अनुलग्नक-1** सन्दर्भित करें।

8 स्टार्टअप ईकोसिस्टम को सुदृढ़ करना

8.1 अवस्थापना विकास

8.1.1 उ0प्र0 स्टार्टअप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म

ऑनलाइन स्टार्ट-इन-यू0पी0 प्लेटफॉर्म एक एकीकृत वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म होगा जो स्टार्टअप्स, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स, मेन्टर्स तथा अन्य प्रासंगिक स्टार्टअप हितधारकों के लिए आपसी सम्पर्क हेतु अपनी तरह का एक सिंगल-विन्डो सिस्टम है। यह प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार के स्टार्टअप कार्यक्रम की डिजिटल पहचान होगी और नीति कार्यान्वयन की

पारदर्शिता और उसके कार्य-सम्पादन में सारभूत वृद्धि करेगी। प्लेटफॉर्म का कार्य और विशेषतायें निम्नानुसार होंगी :-

- i) यह स्टार्टअप के लिए सभी नीतियों और प्रोत्साहनों का एक संग्रह होगा।
- ii) विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करेगा।
- iii) सभी संसाधनों, इन्क्यूबेटर्स, आगामी आयोजनों, योजनाओं आदि की सूची प्रदान करेगा।
- iv) वित्तीय/गैर वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु दावा और उनकी प्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करेगा।
- v) इसकी स्थापना और अनुरक्षण, नामित नोडल एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। कौशल विकास, युवाओं के सशक्तिकरण, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत सभी संस्थाओं को इस पोर्टल पर पहुँच प्रदान की जायेगी। युवा हब, इन्नोवेशन हब, इन्क्यूबेटर्स, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, जिला उद्योग केन्द्र इत्यादि को स्टार्टअप पोर्टल से सम्बद्ध किया जायेगा।
- vi) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, अधिवक्ता, इन्टेलिक्चुअल प्रॉपर्टी (आई.पी.) सेल, ब्रॉडबैंड सर्विस, फण्डिंग एजेन्सीज, कारपोरेट गठजोड़ इत्यादि जैसे विशेषज्ञों और सेवाप्रदाताओं के एम्प्लोयमेंट/ऑनबोर्डिंग की सुविधा करेगा।
- vii) प्लेटफॉर्म का उपयोग उ0प्र0 स्टार्टअप नीति 2020 के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर्स/स्टार्टअप्स के पंजीयन हेतु किया जायेगा।
- viii) इन्क्यूबेटर्स/स्टार्टअप्स द्वारा प्लेटफॉर्म का उपयोग अपने-अपने प्रोत्साहन के दावों के मूल्यांकन एवं अनुमोदन हेतु नोडल एजेन्सी के समक्ष प्रस्तुति हेतु किया जायेगा।
- ix) प्लेटफॉर्म द्वारा दिन-प्रतिदिन अनुश्रवण हेतु नोडल संस्था को व्यापक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) की क्षमता प्राप्त होगी।
- x) जिज्ञासाओं/शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित टोल फ्री हेल्पलाइन को स्टार्टअप पोर्टल के साथ एकीकृत किया जायेगा।

8.1.2 सरकारी खरीद में स्टार्ट-अप्स को वरीयता

भारत सरकार के अनुसार स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों एवं सेवाओं को 'जेम' पोर्टल पर सूचीबद्ध करने की सुविधा प्रदान की गई है। 'जेम' पोर्टल युवा उद्यमियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स को 'पूर्व अनुभव', 'न्यूनतम टर्नओवर' तथा 'धरोहर राशि प्रस्तुति' के मानकों से छूट की सुविधा प्रदान करता है। जो उत्पाद और सेवायें 'जेम' पोर्टल पर सूचीबद्ध नहीं हैं, उनके लिए पीएमआईसी राज्य स्तरीय क्रय-संस्थाओं (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम/वित्त विभाग आदि) को एक विशिष्ट मूल्य अथवा कुल सार्वजनिक खरीद के निर्धारित प्रतिशत की खरीद स्टार्टअप्स के लिए आवंटित किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान कर सकता है। पीआईयू के परामर्श से पीएमआईसी द्वारा पुनः महिलाओं, दिव्यांगजनों अथवा ट्रांसजेन्डर्स के स्वामित्ववाले स्टार्टअप्स के लिए वरीयता के आधार पर खरीद लक्ष्यों का हिस्सा आवंटित किया जा सकता है।

8.1.3 वार्षिक स्टार्टअप रैंकिंग (UPrate)

उत्तर प्रदेश सरकार से पंजीकृत इन्क्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए वार्षिक राज्य स्तरीय रैंकिंग तन्त्र (UPrate) प्रारम्भ किया जायेगा, और उनका मूल्यांकन पूर्वनिर्धारित मानदण्डों के

आधार पर किया जायेगा। वार्षिक मूल्यांकन मानकों को निर्धारित किये जाने हेतु पीएमआईसी, अनुमोदन प्राधिकारी होगी तथा रैंकिंग एक वाह्य संस्था द्वारा की जाएगी।

8.2 शैक्षणिक हस्तक्षेप द्वारा नवाचार को बढ़ावा

8.2.1 विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति की सुदृढ़ता हेतु नोडल संस्था के परामर्श से नवाचार और उद्यमिता पाठ्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे। पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए औद्योगिक मांग पर विचार किया जाएगा और इसे सम्बन्धित सम्बद्ध विद्यालयों द्वारा अंगीकृत किया जाएगा।

8.2.2 विद्यालय पाठ्यक्रम

भावी स्टार्टअप उद्यमियों के सृजन हेतु छात्रों की औपचारिक शिक्षा के प्रारम्भिक चरण में उद्यमशीलता के प्रति रुझान विकसित करने के लिए विद्यालयों के पाठ्यक्रम में नवाचार और उद्यमिता पर बुनियादी शिक्षा आरम्भ की जायेगी।

8.2.3 फ़ैकल्टी विकास कार्यक्रम

महाविद्यालय स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय/महा विद्यालय, फ़ैकल्टी विकास कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।

8.2.4 छात्रों हेतु अन्तराल वर्ष

जो छात्र उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रसर होना चाहते हैं, उन्हें स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के पश्चात एक वर्ष का अवकाश (अन्तराल वर्ष) लेने की अनुमति दी जाएगी। पाठ्यक्रम पूर्ति के लिए आवश्यक अधिकतम अवधि में इस एक वर्ष के अन्तराल की गणना नहीं की जाएगी। पाठ्यक्रम की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए, "अन्तराल वर्ष" सुविधा को पाठ्यक्रम में पुनः सम्मिलित होते समय दिया जा सकता है।

8.2.5 छात्र परियोजनायें

किसी स्टार्टअप अवधारणा पर काम करने वाले छात्र उद्यमी को डिग्री की पूर्णता हेतु अपनी स्टार्टअप परियोजना को अपने अन्तिम वर्ष की परियोजना के रूप में बदलने की अनुमति दी जायेगी।

8.2.6 विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में ई-प्रकोष्ठ की स्थापना

विद्यालय स्तर के छात्रों को अपना उद्यम प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में ई-प्रकोष्ठ की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा।

8.3 स्टार्टअप्स का निधिकरण

8.3.1 फण्ड ऑफ फण्ड्स

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में स्टार्टअप्स को वित्तीय पहुँच प्रदान करने के लिए ₹ 1000 करोड़ से उ0प्र0 स्टार्टअप फण्ड की स्थापना की गई है। यह निधि फण्ड ऑफ फण्ड्स के रूप में होगी जिसमें इसके द्वारा स्टार्टअप्स में सीधे निवेश नहीं किया जायेगा, अपितु निधि का निवेश “डॉक्टर फण्ड्स” में किया जायेगा, जिनके द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में सभी क्षेत्रों की अभिनव योजनाओं/विचारों को बढ़ावा देने वाले स्टार्टअप्स में निवेश किया जायेगा।

8.3.2 बैंकों द्वारा वित्तपोषण

प्रदेश सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की तर्ज पर स्टार्टअप्स को ऋण सुविधाओं का विस्तार करने हेतु बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित करेगी। स्टार्टअप्स के लिए वित्त-पोषण का मार्ग प्रशस्त करने हेतु प्रदेश शासन द्वारा अग्रणी बैंक्स के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

8.3.3 एन्जेल नेटवर्क द्वारा वित्तपोषण

प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए समर्पित एक ‘उ0प्र0 एन्जेल फण्ड नेटवर्क’ की स्थापना की सुविधा दी जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार मात्र इस निधि के गठन की सुविधा प्रदान करेगी और कोई भी योगदान करने से विमुख रहेगी। यह निधि पूरी तरह से एन्जेल निवेशकों अथवा एचएनआई (हाई नेटवर्थ इन्डीविजुअल्स) द्वारा स्थापित और संचालित किया जायेगा।

8.4 युवा हब के साथ एकीकरण

राज्य सरकार ने युवा उद्यमिता विकास अभियान के माध्यम से राज्य में लाखों प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक अभिनव पहल की है जिसमें राज्य के प्रत्येक जनपद में “युवा हब” स्थापित किये जायेंगे। युवा हब में नोडल अधिकारियों को जनपद स्तर पर स्टार्टअप गतिविधियों के लिए एकल बिन्दु सम्पर्क (सिंगल प्वाइन्ट ऑफ कान्टैक्ट) नामित किया जायेगा। यह राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट-इन-यूपी कार्यक्रम के बारे में धरातल स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। युवा हब को स्टार्टअप से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न पर ऑनलाइन जानकारी प्रदान करने के लिए स्टार्ट-इन-यूपी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा।

8.5 अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नवाचार हब

अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा विभाग की सहायता से उनके बजट से एक इन्नोवेशन हब स्थापित किया जायेगा। यह केन्द्र, हब एण्ड स्पोक मॉडल के माध्यम से सभी सरकारी मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स से जुड़ा होगा जहाँ सम्पूर्ण प्रदेश में विस्तृत इन्क्यूबेटर्स स्पेक्स के रूप में कार्य करेंगे और अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में स्थित इन्नोवेशन हब से तालमेल बनायेंगे। यह केन्द्र, प्रदेश स्थित स्कूलों और कॉलेजों द्वारा अपनाए जाने वाले उद्यमिता पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। यह हब नोडल एजेन्सी के साथ मिलकर काम करेगा, जो राज्य सरकार के साथ साझेदारी के लिए स्टार्टअप्स को उचित अवसर प्रदान करने वाले विभिन्न चैलेन्ज कार्यक्रम आरम्भ

करेगा तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट के निस्तारण, परिवहन, प्रदूषण, रि-साइकिलिंग जैसी ईज ऑफ लिविंग से सम्बन्धित वृहद समस्याओं का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

8.6 ओ.डी.ओ.पी. से सम्बद्धता

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा ओ.डी.ओ.पी. योजना के अन्तर्गत चिन्हित किये गये प्रत्येक क्लस्टर में ओ.डी.ओ.पी. उत्पादों के लिए सहायक, समर्पित इन्क्यूबेटर्स का विकास/सहायता की जायेगी। विभाग द्वारा फील्ड अधिकारी नामित किये जायेंगे जो अपने-अपने क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के साथ बातचीत करके उन्हें सूक्ष्म उद्यम बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये स्टार्टअप्स नई प्रौद्योगिकियों प्रस्तुत करके अथवा नवीन व्यावसायिक मॉडलो के माध्यम से भी ओ.डी.ओ.पी. उत्पादों के उत्पादन, विपणन या संवितरण तंत्र को रणनीतिक और नवीन बनाने में सरकार की सहायता कर सकते हैं।

8.7 प्रवासी भारतीय कनेक्ट का लाभ उठाना

नोडल एजेन्सी प्रवासी भारतीय विभाग तथा उच्चायोग/दूतावासों के साथ यूपी प्रवासियों तक पहुँचने और राज्य में स्टार्टअप ईको सिस्टम के निर्माण में योगदान करने हेतु प्रोत्साहित करने का काम करेगी।

8.8 ज्ञान केन्द्रों के रूप में उत्कृष्टता (सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स) के केन्द्र

- i) राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्टता के केन्द्रों (सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स) के रूप में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। उत्कृष्टता के केन्द्र शोध एवं विकास के अनुकरणीय मानदण्डों तथा इन्क्यूबेशन के अनुभव से युक्त, एवं परिपक्व होंगे तथा उद्यमिता के पोषण हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं (बेस्ट प्रैक्टिसेज) को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।
- ii) उत्कृष्टता के केन्द्रों (सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स) के रूप में विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है। जहाँ क्वान्टम कम्प्यूटिंग, आर्टीफिशियल इन्टेलीजेन्स एवं मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, एडिटिव मैनुफैक्चरिंग, ए.आर./वी.आर., ड्रोन्स, रोबोटिक्स, 5जी, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी, डिफेन्स प्रौद्योगिकी, एग्री-टेक, ऐजू-टेक, हेल्थ-टेक तथा सामाजिक अथवा राष्ट्रीय महत्व वाले अन्य क्षेत्रों में भारत और विदेश से 100 सर्वाधिक सम्भावनायुक्त उत्पादों पर आधारित स्टार्ट-अप्स होंगे।

उत्कृष्टता के केन्द्र 100 चयनित स्टार्ट-अप्स को बुनियादी ढाँचे (इन्क्यूबेशन सेन्टर, सह-कार्यस्थान, उत्पाद परीक्षण प्रयोगशाला, एडवान्स कम्प्यूटर्स इत्यादि) तथा उदीयमान प्रौद्योगिकियों तथा प्रबन्धन के क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञों को सम्बद्ध करके मेन्टरशिप के रूप में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

- iii) शासकीय एवं निजी तकनीकी महाविद्यालय, प्रबन्धन संस्थान, शोध एवं विकास संस्थान, संगठन/ नॉन- प्राफिट संगठन/कारपोरेट्स/उद्योग संघ जैसे मेजबान संस्थान उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना हेतु पात्र होंगे

- iv) उत्कृष्टता के केन्द्र की स्थापना हेतु पीएमआईसी की संस्तुति पर माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

8.9 स्टार्टअप ईको-सिस्टम के एंकर के रूप में इन्क्यूबेटर्स

इन्क्यूबेटर्स, स्टार्टअप ईकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनकी स्थापना स्केलबल बिजनेस मॉडल विकसित करने के लिए स्टार्टअप कम्पनियों के प्रारम्भिक चरण के दौरान, उनका सहयोग करने के लिए निजी/सरकारी मेजबान संस्थानों द्वारा की जाती है। वे स्टार्टअप को उनका व्यवसाय विकसित करने के लिए विभिन्न संसाधन जैसेकि भौतिक कार्यालय स्थान, कोचिंग, परामर्श, कानूनी और कारपोरेट सेवायें तथा नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करते हैं। इन्क्यूबेटर का अभिप्राय, भारत सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर भी होगा। स्टार्ट-अप नीति के सन्दर्भ में स्टार्ट-अप के लिए इन्क्यूबेटर्स सम्पर्क सूत्र के प्रथम बिन्दु के रूप में कार्य करेंगे, ताकि स्टार्टअप नीति के अनुसार कोई भी प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए उनकी व्यावसायिक योजनाओं का मूल्यांकन किया जा सके। इन्क्यूबेटर्स द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ही स्टार्टअप वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए नोडल एजेन्सी को आवेदन करने में सक्षम होंगे।

- i) राज्य सरकार, प्रदेश के प्रत्येक जिले में इन्क्यूबेटर्स के स्थापना की दृष्टि से इन्क्यूबेटर्स की स्थापना को प्रोत्साहन देगी।
- ii) राज्य सरकार का लक्ष्य हब और स्पोक मॉडल के अन्तर्गत लखनऊ में देश का सबसे बड़ा इन्क्यूबेटर विकसित किया जाना है।
- iii) मेजबान संस्थानों को नीति के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मापदण्डों की पूर्ति करना आवश्यक होगा:-
 - **फ्लोर एरिया:** शैक्षणिक संस्थानों के लिए 10,000 वर्गफुट तथा वाणिज्यिक स्थान युक्त इन्क्यूबेटर्स के लिए 5,000 वर्गफुट।
 - **समर्पित इन्क्यूबेशन टीम:** नियमित संचालन के प्रबन्धन हेतु इन्क्यूबेटर द्वारा एक समर्पित इन्क्यूबेटर प्रबन्धक के अतिरिक्त, सहायता हेतु टीम के दो अन्य सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए।
 - **को-वर्किंग स्पेस:** इन्क्यूबेटर द्वारा प्रति सीट कम से कम 100 वर्गफुट का को-वर्किंग स्पेस बनाया जाएगा।
 - **मीटिंग रूम:** स्टार्टअप द्वारा ग्राहक से बैठक हेतु उपयोग किए जाने के लिए डेडीकेटेड मीटिंग रूम की उपलब्धता होनी चाहिए।
 - **सम्मेलन कक्ष:** स्टार्टअप संस्थापकों के लिए छोटे कार्यक्रमों अथवा परामर्श कक्षाओं के आयोजन हेतु एक सम्मेलन कक्ष भी होना चाहिए।
 - **कैफेटेरिया/रिफ्रेशमेन्ट जोन:** इन्क्यूबेशन केन्द्र में स्टार्टअप तथा आने-जाने वाले आगन्तुकों के लिए रिफ्रेशमेन्ट जोन की स्थापना की जाएगी।
- iv) भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के अतिरिक्त, इन्क्यूबेशन सेवायें देने के लिए तथा स्टार्टअप/अन्य हितधारकों के साथ डिजिटल रूप से जुड़ने के लिए इन्क्यूबेटर्स को डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए जाने की भी आवश्यकता होगी। इनकी आवश्यकता उ0प्र0 शासन से मान्यता-प्राप्त इन्क्यूबेटर्स के लिए स्टार्टअप नोडल एजेन्सी/पीआईसी द्वारा

- नियत प्रमुख कार्य-प्रदर्शन संकेतको के सापेक्ष डिजिटल प्रारूप में सूचनाएं प्रदान करने (जहाँ भी सम्भव हो, स्टार्ट-इन-यूपी पोर्टल के साथ एपीआई एकीकरण के माध्यम से) हेतु होगी।
- v) सेक्टर विशिष्ट इन्क्यूबेटर्स शैक्षणिक संस्थानों/निजी क्षेत्र के साथ सहयोग/साझेदारी के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के परामर्श से स्थापित किये जायेंगे।
- vi) शासकीय एवं निजी तकनीकी, प्रबन्धन, शोध एवं विकास संस्थान, संगठन/ नॉन-प्राफिट संगठन/कारपोरेट्स/उद्योग संघ जैसे मेजबान संस्थानों को उत्तर प्रदेश में इन्क्यूबेटर्स/एक्सीलरेटर्स की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। मेजबान संस्थानों का चयन निर्धारित दिशानिर्देशों की पूर्ति एवं उपयुक्त परीक्षण के पश्चात किया जायेगा। तथापि इन्क्यूबेटर्स के लिए प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहन की माँग केवल निजी संस्थानों द्वारा ही की जा सकती है तथा शासकीय मेजबान संस्थान इस नीति से आच्छादित नहीं होंगे क्योंकि उन्हें राज्य/केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन पहले ही अनुदान और अंशदान प्राप्त होता है। तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से सम्बन्धित विभागों द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता होगी जो कुल नीतिगत लक्ष्य का कम से कम 50 प्रतिशत हो।
- vii) इन्क्यूबेशन क्षेत्र में समृद्ध अनुभव तथा सुदृढ़ क्षमताओं वाले इन्क्यूबेटर्स को 'नवरत्न इन्क्यूबेटर्स' के रूप में मान्यता दी जायेगी। उत्तर प्रदेश में अन्य इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के इच्छुक संस्थानों/इन्क्यूबेटर्स को पथ-प्रदर्शन, मेन्टर तथा हैण्डहोल्डिंग सहयोग के लिए प्रदेश सरकार द्वारा इन 'नवरत्न इन्क्यूबेटर्स' के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जायेंगे। इन नवरत्न इन्क्यूबेटर्स का नामांकन प्रतिवर्ष वार्षिक इन्क्यूबेटर कार्यप्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा तथा इनका चयन पीएमआईसी द्वारा किया जाएगा।
- viii) **महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स:** प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स द्वारा न्यूनतम 25 प्रतिशत इन्क्यूबेशन सीटें वरीयता के आधार पर महिला संस्थापकों/सह-संस्थापकों वाले स्टार्टअप्स को प्रदान की जायेंगी।
- ix) **हब एण्डस्पोक मॉडल :** स्टार्टअप नीति के अन्तर्गत मान्यता-प्राप्त इन्क्यूबेटर्स 'हब एण्ड स्पोक' मॉडल के अन्तर्गत कार्य करेंगे, जिसमें आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे विशालतम इन्क्यूबेटर, अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इन्नोवेशन हब तथा 3 उत्कृष्टता के केन्द्र पूरे प्रदेश के अन्य सैटेलाइट इन्क्यूबेटर्स के लिए एक हब के रूप में कार्य करेंगे। जनपद स्तर पर स्थापित इन सैटेलाइट इन्क्यूबेटर्स की क्षमता विस्तार में सहायता के लिए नवरत्न इन्क्यूबेटर्स, हब के साथ घनिष्टता के साथ मिलकर काम करेंगे।

8.10 ब्राण्ड प्रमोशन तथा प्रतिभा का सम्मान

- i) **स्टार्टअप एक्सप्रेस:** प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में उद्यमिता के विकास हेतु विभिन्न महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में 'स्टार्टअप एक्सप्रेस' कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यालयों को कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से पूर्व अपने परिसर के अन्दर एक इन्क्यूबेटर/ई-प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।

- ii) **स्टार्टअप मेला:** स्टार्टअप एक्सप्रेस कार्यक्रम की परिणिति 'स्टार्टअप मेला' के रूप में जानी जाएगी। स्टार्टअप एक्सप्रेस आयोजनों के दौरान चयनित स्टार्टअप्स को अपनी अवधारणाओं को जूरी पैनल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा। कार्यक्रम के विजेताओं को नोडल एजेन्सी के पूर्ण विवेकाधीन विभिन्न वित्तीय/ गैर-वित्तीय पुरस्कार यथा रियायती इन्क्यूबेशन सहायता, भरण-पोषण भत्ता, विपणन सहायता इत्यादि प्रदान किये जायेंगे।
- iii) **हैकार्थॉन:** जैसाकि राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा यह आवश्यक है कि भारतीय/विदेशी प्रतिभागियों से नवाचारी प्रौद्योगिकीय समाधानों की पहचान हेतु हैकार्थॉन का आयोजन किया जाये। शीर्ष तीन चयनित परिकल्पनाओं को इन्क्यूबेशन सहायता, वित्तपोषण, मेन्टरिंग इत्यादि के रूप में पुरस्कृत किया जायेगा।
- iv) **जूनियर आईडियाथॉन:** कक्षा 8 से 12 स्तर के छात्र समूहों की नवाचारी परिकल्पनाओं हेतु जिला स्तरीय प्रतिस्पर्द्धाओं के छात्र दलों को प्रति परिकल्पना रु 25,000 का पुरस्कार, प्रतिवर्ष अधिकतम 50 परिकल्पनाओं को प्रदान किया जायेगा।
- v) **स्टार्टअप एक्सचेन्ज प्रोग्राम:** राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ाने के लिए वैश्विक स्टार्टअप स्थलों से ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे। इसी प्रकार स्थानीय स्टार्टअप के साथ काम करने और विचारों के आदान-प्रदान के लिए विश्व स्तरीय स्टार्टअप्स के साथ गठजोड़ किया जायेगा।
- vi) **बूट कैम्पस:** स्कूल/विद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर में ही नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु स्कूलों/विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में बूट कैम्पस आयोजित किये जायेंगे।
- vii) स्टार्टअप नीति के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा घरेलू/वैश्विक स्टार्टअप इवेन्ट्स आयोजित किये जायेंगे।

9 वित्तीय प्रोत्साहन

9.1 इन्क्यूबेटर्स हेतु प्रोत्साहन

(i) पूँजीगत अनुदान

निजी मेजबान संस्थानों को प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना/क्षमता विस्तार के लिए रु एक (1) करोड़ की अधिकतम सीमा के अधीन, पात्र राशि के 50 प्रतिशत तक पूँजीगत अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी, एवं प्रथम किश्त अधिकतम सीमा के 25 प्रतिशत तक होगी। इसकी मांग इन्क्यूबेटर द्वारा त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी। पूर्वाचल/ बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में स्थापित इन्क्यूबेटर्स के लिए रु 1 करोड़ की सीमा बढ़कर रु 1.25 करोड़ हो जायेगी।

अपवादस्वरूप मामलों में शासकीय मेजबान संस्थानों को पूँजीगत अनुदान केवल पीएमआईसी के अनुमोदन से प्रदान किया जाएगा। तथापि पूँजीगत सहायता नहीं प्राप्त होने के बावजूद शासकीय इन्क्यूबेटर्स, स्टार्टअप नोडल एजेन्सी की ओर से स्टार्टअप्स से प्रथम सम्पर्क बिन्दु के रूप में कार्य करते रहेंगे।

(ii) परिचालन व्यय

इन्क्यूबेटर्स को परिचालन व्ययों की पूर्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि अथवा स्व-निर्भर होने तक, जो भी पहले हो, अधिकतम रु 30 लाख प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी। यह प्रोत्साहन उन इन्क्यूबेटर्स को दिया जायेगा जिनके पास 10 अथवा अधिक स्टार्टअप इन्क्यूबेटर्स हैं। वर्ष-प्रति-वर्ष परिचालन व्यय सहायता की निरन्तरता, पूर्णतः इन्क्यूबेटर के कार्य-प्रदर्शन पर निर्भर करेगी जिसका मूल्यांकन नोडल एजेन्सी द्वारा जारी और पीएमआईसी द्वारा अनुमोदित इन्क्यूबेटर कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जायेगा।

(iii) एक्सीलेरेशन कार्यक्रम

स्टार्टअप को सहयोग देने के लिए सक्षम संस्थानों को न्यूनतम 12 सप्ताह के एक्सीलेरेशन कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रति स्टार्टअप रु 1 लाख तक, प्रति कार्यक्रम अधिकतम रु 10 लाख, प्रति संस्थान 5 कार्यक्रम प्रति वर्ष तक का मैचिंग अनुदान दिया जायेगा। नीति के अन्तर्गत एक वर्ष में अधिकतम 100 कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा सहायतित/मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स, सेबी/बैंकों द्वारा पंजीकृत एन्जेल निवेशक अथवा प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान इस प्रयोजन हेतु सक्षम संस्थान होंगे। वेन्चर कैपिटल फर्म्स, निजी एक्सीलेरेटर्स तथा अन्य संस्थान जिन्हें एक्सीलेरेशन कार्यक्रम के संचालन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव है, उत्तर प्रदेश शासन की स्टार्टअप नोडल संस्था से सूचीबद्ध होने के अधीन इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु पात्र होंगे। पीआईसी की संस्तुति पर पीएमआईसी द्वारा, लाभान्वित संस्थानों की कुल संख्या की सीमा में शिथिलता दी जा सकती है।

(iv) वार्षिक इन्क्यूबेटर रैंकिंग्स (Annual Incubator Rankings)

पीएमआईसी द्वारा अनुमोदित प्रमुख कार्यप्रदर्शन संकेतक ढाँचे के अनुसार राज्य स्तरीय इन्क्यूबेटर रैंकिंग आरम्भ की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु मूल्यांकन और रैंकिंग के निर्धारण हेतु एक वाह्य संस्था को सम्बद्ध किया जायेगा। राज्य स्तरीय वार्षिक इन्क्यूबेटर रैंकिंग निरूपित की जायेगी तथा प्रति वर्ष 3 शीर्ष कार्यप्रदर्शन करने वाले विजेता, प्रथम उप-विजेता तथा द्वितीय उप-विजेता को क्रमशः रु 3 लाख, 2 लाख तथा 1 लाख का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

(v) नवरत्न इन्क्यूबेटर्स

इन्क्यूबेशन क्षमताओं के विकास/वृद्धि के लिए मेजबान संस्थानों/इन्क्यूबेटर्स का सहयोग करने के लिए किये गये व्ययों के लिए सभी नवरत्न इन्क्यूबेटर्स को प्रतिवर्ष रु 10 लाख का प्रोत्साहन प्राप्त होगा। नवरत्न इन्क्यूबेटर्स का चिन्हांकन, उ0प्र0 सरकार के स्टार्ट-इन-यूपी कार्यक्रम के अधीन न्यूनतम 50 मान्यता-प्राप्त इन्क्यूबेटर्स की संख्या अर्जित करने के पश्चात ही किया जायेगा।

9.2 उत्कृष्टता के केन्द्रों (Centre of Excellence) हेतु प्रोत्साहन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्कृष्टता के केन्द्र को उसकी स्थापना तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक, अनुदान के रूप में अधिकतम रु 10 करोड़ तक आर्थिक सहायता (जिसमें पूंजीगत तथा परिचालन व्यय सम्मिलित हैं) प्रदान की जायेगी। यह प्रत्याशा की जाती है कि उत्कृष्टता के केन्द्र 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक स्व-निर्भर हो जायेंगे।

उत्कृष्टता के केन्द्र को वित्तीय सहायता का संवितरण पीएमआईसी के निर्णय पर निर्भर होगा। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा धनराशि/प्रोत्साहन का निर्गमन भी उनके कार्य-प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

9.3 स्टार्टअप्स हेतु प्रोत्साहन

उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2019 को निर्गत राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार राज्यों की स्टार्टअप नीतियों के अन्तर्गत प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान, रियायती ऋण, ईक्विटी सीड फण्डिंग, उत्पाद विकास/ विपणन वित्तीय सहायता और मासिक जीवन-निर्वाह भत्ते के रूप में सीड फण्डिंग सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसलिए, यह नीति उत्पादों/विचारों के विपणन के लिए निम्नानुसार भरण-पोषण भत्ते और सीड कैपिटल के रूप में सीड फण्डिंग सहायता आरम्भ करती है।

(i) भरण-पोषण भत्ता (Sustenance allowance)

परिकल्पना स्तर पर प्रति इन्क्यूबेटर 25 स्टार्टअप्स तक, प्रति स्टार्टअप एक वर्ष तक रु 17,500/- प्रतिमाह का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जायेगा।

(ii) प्रोटोटाइप अनुदान

डीपीआईआईटी तथा स्टार्ट-इन-यूपी में पंजीकृत स्टार्टअप्स को प्रति स्टार्टअप रु 5 लाख तक का एकमुश्त प्रोटोटाइप अनुदान प्रदान किया जायेगा। स्टार्टअप को यह सहायता एकल किश्त में प्रदान की जायेगी।

अभ्युक्ति: 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन की धारा इस अनुदान हेतु लागू नहीं होगी।

(iii) सीड कैपिटल/विपणन सहायता (Marketing assistance)

बाजार में न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद आरम्भ करने के लिए प्रति स्टार्टअप रु 7.5 लाख तक प्रति इन्क्यूबेटर 25 स्टार्टअप तक की सीड कैपिटल सहायता प्रति वर्ष विपणन सहायता के रूप में दी जायेगी। सीड कैपिटल का संवितरण माइलस्टोन के आधार पर (यथा 40 प्रतिशत+ 30 प्रतिशत+ 30 प्रतिशत) तीन बार में किया जायेगा, जिसमें पहला अग्रिम के रूप में तथा शेष दो का संवितरण माइलस्टोन पूर्ण होने पर किया जायेगा। प्रथम किश्त संवितरण के समय स्टार्टअप्स द्वारा पीआईयू को अपने कार्य-प्रदर्शन लक्ष्य की वचनबद्धता सूचित करना होगा जिसके आधार पर अनुदान की द्वितीय एवं तृतीय किश्तें अवमुक्त किए जाने से पूर्व मूल्यांकन किया जायेगा।

अभ्युक्ति: महिलाओं/ दिव्यांगजन/ ट्रांसजेन्डर्स द्वारा 26 प्रतिशत से अधिक अंशधारिता के साथ स्थापित/ सह-स्थापित स्टार्टअप्स अथवा पूर्वान्वल/बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय/ परिचालन वाले स्टार्टअप्स अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों द्वारा स्थापित/सह-स्थापित स्टार्टअप्स को अतिरिक्त 50 प्रतिशत भरण-पोषण तथा विपणन सहायता, दोनों प्रदान की जायेगी।

यह 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान ग्रामीण प्रभाव, सर्कुलर इकोनॉमी, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स पर भी लागू होगा। कोई स्टार्टअप उक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत आच्छादित है अथवा नहीं, के बारे में निर्णय नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा मूल्यांकन समिति की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।

(iv) स्टार्ट-अप्स को सहयोग

राज्य द्वारा धारित/प्रबन्धन किये जा रहे विशालतम इन्क्यूबेटर, अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इन्नोवेशन हब तथा प्रस्तावित 3 उत्कृष्टता के केन्द्रों में स्टार्टअप्स को निःशुल्क इन्क्यूबेशन प्रदान किया जायेगा। छह माह समाप्त होने के पश्चात स्टार्टअप के कार्यप्रदर्शन का मूल्यांकन किया जायेगा और संतोषजनक प्रगति की स्थिति में पुनः छह माह के लिए इन्क्यूबेशन विस्तारित किया जा सकता है। इन्क्यूबेशन की कुल अवधि 12 माह से अधिक नहीं होगी।

(v) पेटेंट फाइलिंग लागत (Patent Filing cost)

सफल पेटेंट्स के लिए पेटेंट्स फाइलिंग लागत, घरेलू पेटेंट्स हेतु रु 2 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट्स हेतु रु 10 लाख की प्रतिपूर्ति, इन्क्यूबेट हुए स्टार्टअप्स को की जायेगी।

(vi) आयोजनों में प्रतिभागिता

स्टार्टअप्स द्वारा आयोजनों में प्रतिभाग हेतु व्ययों की प्रतिपूर्ति – राष्ट्रीय आयोजन में प्रतिभाग हेतु रु 50,000 तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन में प्रतिभाग हेतु रु 1 लाख तक। यह भारत सरकार द्वारा पंजीकृत उन सभी स्टार्टअप्स पर लागू होता है जो उत्तर प्रदेश में निगमित हुए हों। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से अनिवार्य इन्क्यूबेशन की शर्त इस मामले में लागू नहीं होगी।

10 इन्क्यूबेटर्स/उत्कृष्टता के केन्द्रों/स्टार्टअप्स हेतु गैर वित्तीय प्रोत्साहन

(i) भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार 9 श्रमिक एवं पर्यावरण कानूनों (वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तथा भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जायेगा) स्व-प्रमाणन की अनुमति होगी/दी जायेगी। निगमन की तिथि से 3 से 5 वर्ष की अवधि में, श्रम कानूनों के सन्दर्भ में, कोई निरीक्षण नहीं किया जायेगा। उल्लंघन की विश्वसनीय और सत्यापन योग्य लिखित शिकायत प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण अधिकारी से कम से कम एक स्तर वरिष्ठ अधिकारी से अनुमोदन होने पर स्टार्टअप्स का निरीक्षण किया जा सकता है।

(ii) महिलाओं द्वारा रात्रि में कार्य करने सहित, स्टार्टअप्स को तीन पालियों में कार्य करने की इस प्रतिबन्ध सहित अनुमति होगी कि ऐसी इकाइयों द्वारा, लागू विधान के अन्तर्गत कल्याणकारी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ, कार्मिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करते हुए निर्धारित सावधानी रखी जाये तथा सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

11 प्रक्रिया और दिशानिर्देश

11.1 स्टार्टअप्स के लिए पात्रता

अभिनव विचार/अवधारणा वाला उत्तर प्रदेश में निगमित स्टार्टअप इस नीति के तहत सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा और ऐसे स्टार्टअप को स्टार्टअप इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

11.2 आवेदन प्रक्रिया

(1) इन्क्यूबेटर्स

- (i) इस नीति के अन्तर्गत मान्यता के लिए इन्क्यूबेटर्स अपना आवेदन स्टार्ट-इन-यूपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टार्टअप नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) शासकीय मेजबान संस्थान पूंजीगत अनुदान पाने के लिए पात्र नहीं होंगे, तथापि इस नीति में उल्लिखित, इन्क्यूबेटर्स से सम्बन्धित अन्य समस्त प्राविधान उन पर लागू होंगे।
- (iii) इन्क्यूबेटर मान्यता आवेदन तथा उनके विद्यमान कार्य-प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश स्टार्ट-इन-यूपी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जायेंगे।

(2) स्टार्टअप्स

- (i) स्टार्टअप्स, इन्क्यूबेशन हेतु अपना आवेदन, विस्तृत व्यवसाय योजना सहित शासकीय मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स को प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) इन्क्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप की ओर से प्रस्ताव, आवेदन की मूल्यांकन आख्या, इन्क्यूबेशन प्रमाण-पत्र तथा वित्तीय सहायता हेतु संस्तुति सहित अनुरोध पत्र संलग्न करते हुए स्टार्टअप नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्रों के मूल्यांकन हेतु मानको का निर्धारण नोडल एजेन्सी द्वारा नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति (पी0एम0आई0सी0) से विचार विमर्श कर सभी चिन्हित इन्क्यूबेटर्स को स्टार्ट-अप्स द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के मूल्यांकन हेतु वितरित किये जायेंगे।
- (iii) बदले में, नोडल एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन कर अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (iv) वित्तीय प्रोत्साहन का संवितरण सीधे स्टार्टअप के बैंक खाते में किया जायेगा।

12 अनुलग्नक-1 : परिभाषायें

1. स्टार्टअप (Start-ups)

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या जीएसआर 364(अ) दिनांक 11 अप्रैल 2018 के अतिक्रमण में जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 34(अ) दिनांक 16 जनवरी 2019 द्वारा संशोधित अधिसूचना तथा जैसाकि समय-समय पर संशोधित किया जाये, किसी एनटिटी को निम्नानुसार स्टार्ट-अप माना जायेगा:

- i) निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष की अवधि तक, यदि वह भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा पारिभाषित) के रूप में निगमित हो अथवा एक भागीदार फर्म (भागीदार अधिनियम 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत) के रूप में पंजीकृत हो अथवा एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में पंजीकृत हो।
- ii) निगमीकरण/पंजीकरण के समय से किसी भी वित्तीय वर्ष में एनटिटी का कुल कारोबार सौ करोड़ रुपये से अधिक न हो।
- iii) यदि यह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रही है अथवा यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च संभावना वाला एक स्केलेबल व्यावसायिक माडल है।

पहले से ही मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनायी गयी किसी एनटिटी को 'स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा।

2 **इन्क्यूबेटर्स (Incubators)**

इन्क्यूबेटर्स (नवउद्यमी उत्प्रेरक केन्द्र) स्टार्टअप्स को प्लग एण्ड प्ले सुविधायें, बैठक/सभाकक्ष/कार्यालय स्थान तथा साझा प्रशासनिक सेवायें, उच्च गति इन्टरनेट सुविधा इत्यादि प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे। इन्क्यूबेटर्स मेन्टर्स, प्रशिक्षण, वित्तपोषण, विधिक सेवायें, लेखा सेवायें, तकनीकी सहायता, उच्चतर शैक्षणिक संसाधन इत्यादि जैसी यथासम्भव सेवायें राज्य/ केन्द्रीय सरकार के सहयोग से स्टार्टअप्स को उपलब्ध करायेंगे।

3 **मेजबान संस्थान (Host Institutes)**

मेजबान संस्थान राज्य के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन और अनुसंधान एवं विकास संस्थान, अन्य संगठन हैं जो राज्य में स्टार्टअप ईकोसिस्टम को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इन्क्यूबेटर्स और एक्सीलेरेटर्स स्थापित करने के लिए उद्यमशीलता के विकास और संवर्द्धन पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

4 **एक्सीलेरेशन कार्यक्रम (Acceleration Program)**

एक्सीलेरेशन कार्यक्रम, परिकल्पना के एक बार बाजार में औपचारिक उत्पाद के रूप में आरम्भ हो जाने के पश्चात, स्टार्टअप्स को उनके व्यापार विस्तार हेतु सहायता के लिए लघु से मध्यम अवधि के मेन्टरिंग कार्यक्रम हैं। स्टार्टअप्स, सामान्यतया कम्पनियों के एक समूह के हिस्से के रूप में एक निश्चित अवधि के लिए एक्सीलेरेशन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

5 **वेन्चर कैपिटल फण्ड (Venture Capital Fund)**

ऐसे निवेश कोष जो निवेशकों से सुदृढ़ विकास सम्भावनाओं के साथ स्टार्टअप में अंशपूँजी हिस्सेदारी (Equity Stake) की मांग करते हैं। इन निवेशों को सामान्यतः उच्च-जोखिम/ उच्च-प्रतिलाभ के अवसरों के रूप में जाना जाता है।

6 वैकल्पिक निवेश निधि (Alternate Investment Funds)

वैकल्पिक निवेश निधि एक ऐसे निवेश को सन्दर्भित करता है जो निवेश के पारम्परिक मार्गों जैसे स्टॉक, ऋण प्रतिभूतियों इत्यादि से भिन्न होता है। इन निधियों में पूल्ड इन्वेस्टमेण्ट फण्ड सम्मिलित हैं जो वेन्चर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, हेज्ड फण्ड, मैनेज्ड फ्यूचर्स में निवेश करते हैं।

7 एन्जेल इन्वेस्टर्स (Angel Investors)

ऐसे निवेशक जो लघु स्टार्टअप्स अथवा उद्यमियों को प्रारम्भिक चरण में सीड फण्डिंग प्रदान करते हैं। एन्जेल इन्वेस्टर्स को सेबी अथवा बैंकों अथवा उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इन्व्यूबेशन केन्द्रों के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

8. महिला नेतृत्वयुक्त स्टार्टअप:

डीपीआईआईटी तथा उत्तर प्रदेश शासन के स्टार्ट-इन-यूपी में पंजीकृत एवं निम्नलिखित मानकों को पूरा करने वाला कोई स्टार्टअप, महिला नेतृत्वयुक्त स्टार्टअप है:-

- स्टार्टअप का स्वामित्व किसी महिला अथवा महिलाओं के समूह के पास हो, जिसकी व्यक्तिगत महिला संस्थापक के रूप में स्टार्टअप में पूंजी का न्यूनतम 26प्रतिशत वित्तीय हित निहित हो।
- उन महिला स्टार्टअप्स के मामले में, जिनके द्वारा इक्विटी फण्डिंग प्राप्त की गई है, नीति के अन्तर्गत किसी भी प्रोत्साहन की पात्रता के लिए 26प्रतिशत अंशधारिता की न्यूनतम सीमा को बनाए रखा जाना चाहिए।

9. ग्रामीण प्रभाव स्टार्टअप:

ऐसे स्टार्टअप्स जो ग्रामीण समस्याओं के निवारण/ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने/ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से समाधान प्रदान करते हैं।

10. सर्कुलर इकोनॉमी:

उत्पाद जीवन-चक्र लूप को बन्द करने और नये उत्पादों के विकास में सामग्री के उपयोग को कम करने वाले समाधान प्रदान करने वाले स्टार्टअप को सर्कुलर अर्थव्यवस्था का अंग माना जाता है।

11 **वहनीयता:** आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन सुनिश्चित करते हुए, भावी पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने पर काम कर रहे स्टार्टअप्स।

12 **नवीकरणीय ऊर्जा:** ऐसे उत्पादों पर काम कर रहे स्टार्टअप जो नैसर्गिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, जिनकी खपत की तुलना में उच्च दर पर भरपाई की जाती है,

जिसका अर्थ है कार्बन फुटप्रिंट पॉजिटिव, सॉलिड वेस्ट पॉजिटिव, रिसाइकिल पॉजिटिव तथा जल रिसाइकिल पॉजिटिव।

13. **जलवायु परिवर्तन:** ऐसे स्टार्टअप जो ऐसे समाधान की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करते हैं जोकि धरती को ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन अथवा भोजन, सूखा और अत्यधिक गर्मी जैसी जलवायु चुनौतियों से निपटने में सहायक हैं।
14. **विचार:** यह स्टार्टअप का वह चरण है जहाँ उद्यमी अथवा व्यक्तियों/छात्रों के समूह के पास एक विचार होता है और वे उस विचार को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में बदलने पर कार्यरत होते हैं।
15. **प्रोटोटाइप:** एक प्रोटोटाइप किसी विचार का वह मूर्त दृश्य है जिसे न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) बनाने के लिए विकसित किया जाता है और व्यवसायीकरण के लिए तैयार किया जाता है।
16. **व्यवसायीकरण:** व्यवसायीकरण वह चरण है जहाँ न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) को बाजार में लाया जाता है और राजस्व सृजन के लिए परिलक्षित उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।



सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

इनके साथ

यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड नीति कार्यान्वयन इकाई के रूप में

पता 10-अशोक मार्ग, लखनऊ-226 001

दूरभाष नॉ0 : 0522-2286808, 2286809, 2286812

ई-मेल: info@itpolicyup.gov.in

वेबसाइट : itpolicyup.gov.in

ध्यानकर्षण:

यह Uttar Pradesh Start-up Policy 2020 के अंग्रेजी संस्करण का अनन्तिम हिन्दी रुपान्तरण है। अतएव विषय-वस्तु सम्बन्धी किसी विसंगति/संशय की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में निहित विषय-वस्तु ही मान्य होगी।